रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266725
CG-DL-E-07102025-266725

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4403]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947
No. 4403]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4531(अ).—यत: केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती है, और तदनुसार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथा-अपेक्षित, इससे प्रभावित होने वाली जनता को जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; तथा इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना को उस तिथि से साठ (60) दिनों की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके पश्चात विचार में लिया जाएगा, जिस तारीख से इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ आम जनता के लिए उपलब्ध होंगी।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो, वह उसे लिखित रूप में केंद्रीय सरकार के विचारार्थ यथा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली - 110003 को प्रेषित कर सकता है, अथवा इसे मंत्रालय के ई-मेल पते: diriapolicy-moefcc@gov.in. पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

का. आ. -----(अ)___यत: केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय (पूर्ववर्ती) के अंतर्गत, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 14 सितंबर, 2006 के का. आ 1533 (अ), के तहत कतिपय परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी)

अनिवार्य करने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें एतद्पश्चात उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित किया गया है) को प्रकाशित किया है।

तथा यत: साझा नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (सीएमएसडब्ल्यूएमएफ) ईआईए अधिसूचना 2006 की मद 7(झ) के अंतर्गत आती है और इसके लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता होती है।

तथा यत: क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अवलोकन किया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं जैसी आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं (ईईएस) से संबंधित परियोजनाएं, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अंतर्गत शासित होती हैं। इन कानूनों के अधीन नियामक व्यवस्था कडी और व्यापक है, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा नियमित निगरानी, आवधिक निरीक्षण और अनिवार्य रिपोर्टिंग का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में ऐसी परियोजनाओं के लिए स्थल चयन जैसे मापदंड भी शामिल हैं।

तथा यत: क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह भी पाया कि सीपीसीबी ने नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं, आदि जैसी आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं (ईईएस) प्रदान करने वाले उद्योगों को वर्गीकृत करने के लिए एक नई "नीली श्रेणी" शुरू की है। इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी ने ऐसी ईईएस के लिए कुछ प्रोत्साहन का भी प्रावधान किए हैं, जैसे कि संचालन की सहमति की वैधता को अतिरिक्त 2 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। इस संदर्भ में, वर्तमान पर्यावरणीय विधियों के तहत विनियामक कवरेज और सुदृढ़ निगरानी को ध्यान में रखते हुए तथा ईईएस को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ईएसी ने सिफारिश की है कि मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पूर्व ईसी की अनिवार्यता से छूट देने हेतु सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

तथा यत: विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशें विशेषज्ञ सलाहकार समिति को जांच के लिए भेज दी गईं। समुचित विचार-विमर्श के पश्चात, विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश के प्रति सहमति व्यक्त की और यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार ने दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया था कि केवल वे केंद्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं, जिनमें लैंडफिल साइट शामिल है, को ही पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, समुचित विचार-विमर्श के उपरांत, विशेषज्ञ सलाहकार समिति का यह सुविचारित दृष्टिकोण था कि सभी सीएमएसडबल्यूएमएफ़ को, उपयुक्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अनुपालन की शर्त पर, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति से छूट दी जा सकती है।

तथा यत:, केंद्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं (सीएमएसडबल्यूएमएफ़) मूलतः आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की संरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सुविधाएं विभिन्न उप-उत्पाद जैसे द्वितीयक कच्चा माल, खाद, ऊर्जा, आदि का उत्पादन करके अतिरिक्त मूल्य संवर्धन भी कर सकती हैं, और "कचरे से समृद्धि" की अवधारणा को साकार करते हुए चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा संधारणीय विकास को बढ़ावा देती हैं। इसके अतिरिक्त इन सुविधाओं की भूमिका और महत्त्व अन्य कार्यकलापों और उद्योगों की तुलना में भिन्न प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनकी स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन होता है।

तथा यत: विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार का यह मत है कि साझा नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं (सीएमएसडबल्यूएमएफ़) को पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अपेक्षा से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सहमति तंत्र के माध्यम से लागू किया जाए।

अतः, अब पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533(ई), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, शीर्षक "भौतिक अवसंरचना जिसमें पर्यावरणीय सेवाएं शामिल हैं" के अधीन, मद 7(झ) और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ का लोप कर दिया जाएगा।

[फ़ा. सं. आईए 3-22/18/2025-आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर, 2006 के का.आ. 1533(अ), के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 17 मार्च, 2025 के का.आ. 1223(अ) में पिछली बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2025

S.O. 4531 (E).—WHEREAS, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and accordingly, the same is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it at the e-mail address: diriapolicy-moefcc@gov.in.

DRAFT NOTIFICATION

S.O. ______(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance (EC) for certain category of projects;

AND WHEREAS, Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF) are covered under item 7(i) of the EIA Notification 2006 and require prior Environmental Clearance (EC).

AND WHEREAS, the sectoral Expert Appraisal Committee has, *inter-alia*, observed that Environmental Essential Services (EES) projects such Solid Waste Management Facilities are governed under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The regulatory regime under these statutes are stringent and comprehensive, providing for regular monitoring, periodic inspections, and mandatory reporting by the State Pollution Control Boards (SPCBs) and the Central Pollution Control Board (CPCB). Further, Solid Waste Management Rules, 2016, issued by the Central Government include criteria such as site selection for such projects etc.

AND WHEREAS, the sectoral Expert Appraisal Committee also observed that the CPCB has introduced a new "blue category" to classify industries providing essential environmental services (EES) like Municipal Solid Waste Management Facilities etc. Further, CPCB has also provided certain incentives for such EES such as additional 2 years validity for consent to operate. In this regard, given the regulatory coverage and robust oversight under existing environmental laws, and to encourage EES, the sectoral EAC has recommended that a considered view may be taken by Ministry for exempting such EES from the requirement of prior EC, under the EIA Notification, 2006.

AND WHEREAS, the recommendations of Expert Appraisal Committee were referred to the Expert Advisory Committee for examination. After due deliberation the Expert Advisory Committee agreed with the recommendations of the concerned Expert Appraisal Committee and also noted that the Central Government had clarified through OM dated 17th November 2017 that only the Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF) which included a landfill site required prior EC. In this regard, after due deliberation the Expert Advisory Committee was of the considered view that all CMSWMF may be exempted subject to environmental safeguards to be implemented.

AND WHEREAS, CMSWMF are basically essential environment services which play a vital role in protecting environment and human health. These facilities may also bring value addition by producing various by-products such as secondary raw material, compost, energy, etc. and promotes circular economy and sustainable development by converting waste into wealth. Moreover, the role and importance of these facilities is different in nature as compared to other activities and industries in the sense that they are primarily set-up for prevention, control and abatement of soil, water and air pollution.

AND WHEREAS, based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee and the Expert Advisory Committee, the Central Government is of the view that Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF) may be exempted from the requirement of prior Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006, subject to implementation of environmental safeguards to be enforced by SPCB/PCC through the Consent mechanism.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely: -

In the said notification,-

In the Schedule to the said notification, under heading, "Physical Infrastructure including Environmental Services", Item 7(i) and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. IA3-22/18/2025-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number S.O. 1223(E), dated the 17th March, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.07 15:14:56 +05'30'